## खण्डपीठ क्रमांक 22

09-12-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

परिवादी शिवचरनलाल सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण

गुप्ता उप0।

आरोपी विष्णु अग्रवाल सहित अधिवक्ता श्री पी०के० वर्मा उप०।

आज दिनांक को परिवादी द्वारा द.प्र.स. की धारा 257 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि आरोपी द्वारा विवादित चैक की राशि परिवादी को अदा कर दी गयी है। परिवादी एवं आरोपी के मध्य विवाद समाप्त हो गया है। परिवादी उक्त परिवाद संचालित नहीं करना चाहता है अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा परिवाद को वापिस लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि परिवादी एवं आरोपी के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है एवं आरोपी द्वारा विवादित चैक की संपूर्ण रिश अदा कर दी गयी है। परिवादी प्रस्तुत परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा परिवाद वापिस लिए जाने के कारण प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जाता है।

आरोपी को परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा

138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

耍.2-

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क० 22 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०